



COVID-19
(MOST- URGENT)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/ 28687

दिनांक : 24/03/2020

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के समसख्यक आदेश क्रमांक 28557 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा जारी आदेश में संशोधन करते हुये बिन्दु सं. 3 के अंतर्गत फैक्ट्री एवं वर्कशॉप में "परन्तु निम्न पर लागू होगा" के बजाय "परन्तु निम्न पर लागू नहीं होगा" पढ़ा जावे।

Ansh

(अंशदीप)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28688-28751 दिनांक : 24/03/2020
प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
3. मुख्य महाप्रबंधक, एच.आर.आर.एल., पंचपदरा
4. महाप्रबंधक (प्रशासन), केर्यन वेदांता बाड़मेर
5. प्लान्ट हेड, राजवेस्ट पॉवर प्लान्ट, भादरेश
6. निदेशक, एस.डब्ल्यू.एम.एल., बाड़मेर
7. सचिव, नगर सुधार न्यास, बाड़मेर
8. सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, बाड़मेर
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बाड़मेर
10. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर
13. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा
14. तहसीलदार (समस्त)
15. आयुक्त, नगरपरिषद् बाड़मेर/बालोतरा
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (समस्त)
17. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाड़मेर
18. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बाड़मेर
19. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर
20. प्रभारी, सोशल मीडिया
21. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर बाड़मेर ।
22. संबंधित अधिकारी श्री

Ansh

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर